

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 545

दिनांक :- 25/4/25

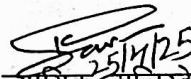
॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते-हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 490 दिनांक 19.04.2025 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई को आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय से बाहर जाने के कारण से संशोधन कर दिनांक 27.04.2025 के लिए टोंक न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल से सम्बन्धित कार्य हेतु नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, को कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करने के लिए अधिकृत करता हूं। माह अप्रैल-2025 के लिए अन्य दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अभिलाषा जेफ	9829462902	27.04.25

नोट :- उक्त अवकाश के अतिरिक्त आगामी दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त अवकाश हेतु नियुक्त न्यायिक अधिकारी ही प्रोटोकॉल इ्यूटी सम्पादित करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारी कॉलम संख्या 5 में नियत इ्यूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 546-554

दिनांक :- 25/4/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई।
- अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली।
- पुलिस अधीक्षक, टोंक।
- अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
- जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
- सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
- पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
- प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)